कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

फैसल संख्या – 1417/2022 निर्णय दिनांक :– 12.4.2022

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कैलाश पुत्र माधो जाति धाकड निवासी कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. गलता पुत्री माधो जाति धाकड निवासी कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. रमता पुत्री माधो जाति धाकड निवासी कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. हरिराम पुत्र माधो जाति धाकड निवासी कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना–पत्र पत्थगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 104 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.63 है0** ग्राम कालानाडा तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में अंकित **आराजी खाता संख्या 49 खसरा नम्बर 104 रकबा 0.42, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.40 है0, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.64 है0, खसरा नम्बर 121 रकबा 0.63 है0** ग्राम कालानाडा की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/– निर्धारित की जाकर एतत्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है

(भारत भूषण गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
देवली